UPSL040014992018

<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चंदौसी।</u>

पीठासीन अधिकारी–दीपक कुमार जायसवाल, (I.D.No. UP2084) उ०प्र०न्यायिक सेवा।

कंप्यूटर वाद संख्या–569/2018

पत्रावली वाद संख्या–1670/2021

1. उत्तर प्रदेश राज्य

........**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1. देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ पुत्र पूरनमल शर्मा। **(मृतक दौरान मुकदमा)**
2. आसिम उर्फ राशिद पुत्र फरजन्द।
   निवासीगण–ग्राम रमपुरा, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद।
3. लोकेश पुत्र चन्द्रपाल, निवासी ग्राम दबथरा हरलाल, थाना गुन्नौर, जिला बदाँयू।
4. सुगरपाल पुत्र भगवान सिंह।
5. रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव पुत्र वीरेन्द्र सिंह।
   निवासीगण–ग्राम मलिकपुर बिचौला, थाना जरीफनगर, जिला बदाँयू।
6. चरन सिंह पुत्र सिपटटर यादव, ग्राम पटपरागंज, थाना उघैती, जिला बदाँयू।
7. शानू मिस्त्री पुत्र शराफत हुसैन, निवासी मो0 नंबर 08, कस्बा व थाना बिल्सी, जिला बदाँयू।
8. विक्की पुत्र विनोद कुमार, निवासी मो0 भटनागर, कस्बा व थाना इस्लामनगर, जिला बदाँयू।

...........**अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–695/2008,
धारा–379 तथा 411 भा.द.सं.
थाना–चन्दौसी, जिला मुरादाबाद।

<u>**निर्णय**</u>

1. पुलिस थाना चंदौसी, जिला संभल द्वारा, मुकदमा अपराध संख्या 695/2008 में अभियुक्तगण देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ, आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू मिस्त्री तथा विक्की के विरुद्ध धारा–379 तथा 411 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

2. वादी मुकदमा सौरभ मखीजा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2008 को समय करीब 09 बजे

Digitally signed by DEEPAK KUMAR JAISWAL
Date: 2026.06.03 14:52:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मैं अपनी मोटर साइकिल फ्रीडम नंबर UP 21 L 4874, चेचिस नंबर C75J086328, इंजन नंबर EFF5J125058 का ताला बंद कर घर के सामने खड़ी कर अंदर गया था। वापिस आने पर गाड़ी वहाँ नहीं थी जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गये। मालूम हुआ कि दिनांक 09.09.2008 को श्री योगेश कुमार सिंह पुत्र हरिराम सागर, निवासी मौ0 चुन्नी चंदौसी की मोटर साइकिल हीरो–होण्डा स्पलेंडर UP 21 M 0900, इंजन नंबर 03D18E12345, चेचिस नंबर 90F14025, रंग नीला भी उनके मकान के सामने से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी व दिनांक 08.09.2008 को मलखान सिंह पुत्र स्व0 बट्टू लाल दूर संचार विभाग चंदौसी, निवासी मो0 विकासनगर कोलागड़ चंदौसी की मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेंडर नंबर UP 21 J 7926 रंग लाल उसके निवास स्थान से, जिसका इंजन नंबर 11896, चेचिस नंबर 02814 है व दिनांक 15.09.2008 को श्री कृष्ण कुमार पुत्र शिवराज सिंह, मोहल्ला सेमर टोला चंदौसी, जिला मुरादाबाद की स्पलेंडर प्लस नंबर UP 21 Q 1090 इंजन नंबर 04F15E28368, चेचिस नंबर 04F16F27934 ब्लैक महिला परिसर से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी, रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। रिपोर्ट लिखाकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र रामऔतार अग्रवाल, निवासी सुन्दर चंदौसी की मोटर साइकिल डिस्कवर लाल रंग UP21S 8053 दिनांक 16.09.2008 को चोरी हो गयी। एफ.आई.आर. दर्ज करें।

3. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 695/2008, अंतर्गत धारा– 379 भा.द.सं. दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गयी।

4. दिनांक 25.11.2008 को विवेचक चरण सिंह द्वारा न्याालय में इस आशय की अंतिम आख्या प्रेषित की गयी कि विवेचना के दौरान उक्त मुकदमे में चोरी की गयी मोटरसाइकिलों का व चोरों का पता लगाने की काफी कोशिश की तथा पकड़े गये वाहन चोरों से व वादी आदि से भी पूछताछ की गयी, लेकिन काफी पूछताछ व पता करने पर भी चोरी किये गये वाहनों का कोई पता नहीं चल पाया है तथा मुकदमा काफी पुराना हो गया है। निकट भविष्य में पता चलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अत: माल मुल्जिमान की पतारसी, सुरागरसी जारी रखते हुए मुकदमे की विवेचना द्वारा एफ.आर. समाप्त की जाती है।

5. दिनांक 21.12.2008 को मुकदमे से संबंधित मोटरसाइकिल अभियुक्त देवकीनंदन उर्फ बन्टी आदि के कब्जे से बरामद होने के आधार पर मामले की एफ.आर. को निरस्त करते हुए धारा 411 भा.द.सं. की बढोत्तरी करते हुए पुन: विवेचना शुरू की गयी।

6. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा, गवाहों के बयान अंकित किये गये, नक्शा नजरी तैयार की गई। दौरान विवेचना अभियुक्तगण देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ, आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू

मिस्त्री तथा विक्की का नाम प्रकाश में आया। बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ, आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू मिस्त्री तथा विक्की के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए मुकदमा अपराध संख्या 695/2008, अन्तर्गत धारा–379 तथा 411 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया।

7. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और उन्होंने अपनी–अपनी जमानतें करायीं। अभियुक्तगण को नियमानुसार अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। तत्पश्चात अभियुक्तगण देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ, आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू मिस्त्री के विरुद्ध मु०अ०सं०–695/2008, अन्तर्गत धारा–379 तथा 411 भा.द.सं. का आरोप दिनांक 03.07.2009 को विरचित किया गया। अभियुक्त विक्की के विरूद्ध धारा–379 तथा 411 भा.द.सं. का आरोप दिनांक 19.07.2010 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

8. दौरान विचारण अभियुक्त देवकीनन्दन उर्फ बन्टी उर्फ आरिफ की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

9. अभियोजन की ओर से साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू०–1 मलखान सिंह, पी0 डब्लू02 एस.आई. मोहन यासीन, पी0 डब्लू03 सौरभ मखीजा तथा पी0 डब्लू04 विजय सिंह राणा को परीक्षित कराया गया। दौरान साक्ष्य, साक्षी पी०डब्लू० 1 मलखान सिंह ने अपनी मोटर साइकिल को वस्तु प्रदर्श –1, पी0 डब्लू02 एस.आई. मोहन यासीन ने आरोप पत्र को प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3, पी0 डब्लू03 सौरभ मखीजा ने थाने पर दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में सत्यापित किया है।

10. अभियोजन के साक्ष्योपरांत अभियुक्तगण आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू मिस्त्री तथा विक्की उर्फ विनोद का बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक एवं साक्षीगण द्वारा दिए गए बयान को झूठा/गलत बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार करने का कथन किया है।

11. दौरान बहस अभयोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से अलग–अलग तिथियों व स्थानों से चुरायी गयी मोटरसाइकिलें बरामद की गयीं तथा उक्त तथ्यों को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा

अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने योग्य हैं।

12. बचाव पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 4 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं जिसमें से दो पुलिसकर्मी हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से बरामदगी संबंधी तथ्य कथित बरामदगी के समय उपस्थित किसी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से साबित नहीं कराए गए हैं। विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना की गयी है। बरामदगी संबंधी रवानगी जी.डी. पत्रावली पर नहीं है, न ही वापसी जी.डी. उपलब्ध है। अभियुक्त विक्की के पास से बरामद मोटरसाइकिल के स्वामी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा संपूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

13. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परीशीलन किया।

14. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि दिनांक 17.09.2008 को समय करीब 09 बजे, स्थान मौ0 साहूकार चंदौसी, थाना चंदौसी, जिला मुरादाबाद (वर्तमान जिला संभल) के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा सौरभ मखीजा की मोटर साइकिल चोरी कर ली गयी। अन्य–अन्य तिथि पर कई लोगों की बाइक चोरी की गयीं जो दिनांक 21.12.2008 को समय करीब 06.10 ए.एम. पर स्थान, देवकी नन्दन उर्फ बंटी के मकान स्थित ग्राम रमपुरा, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद से अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद हुईं। उक्त चोरी की संपत्ति(मोटर साइकिलों) को बेइमानी से अभियुक्तगण द्वारा अपने कब्जे में रखा गया था।

15. उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया जिनके साक्ष्य के सुसंगत अंश का निम्नवत उल्लेख किया जा रहा है–

अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 "मलखान सिंह**" द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 08.09.2008 समय 10:15 बजे की है। मैं अपनी मोटरसाइकिल नं० यू०पी० 21 J 7926 से अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी मोटरसाइकिल घर के दरवाजे पर खडी थी। जब मैं बाहर दरवाजे पर आया तब मेरी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। अज्ञात चोर मेरी मोटरसाइकिल को चुराकर ले गये। घटना की रिपोर्ट मैंने सौरभ मखीजा के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 17.09.2008 को थाना चंदौसी में दर्ज करायी थी। तहरीर सौरभ मखीजा के हस्तलेख में है, जो पत्रावली पर है। मैंने अदालत के आदेश से मोटरसाइकिल प्राप्त कर ली थी, जो लेकर आया हूँ, जिस पर वस्तु प्रदर्श–01 डाला

गया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मोटरसाइकिल चोरी करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने पहली बार मोटरसाइकिल चंदौसी थाने में खड़ी देखी। थाना पुलिस चंदौसी ने मोटरसाइकिल कहाँ से और किससे बरामद की, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस ने किसी भी मुल्जिमान को मुझे नहीं दिखाया, न ही मैं मुल्जिमानों को जानता हूँ। मोटरसाइकिल चोरी के बारे में मैंने दरोगा जी को कुछ नहीं बताया। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों से मिल गया हूँ और सही बात नहीं बता रहा हूँ।

अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यू०–2 "मौ0 यासीन**" द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैंने दिनांक 21.01.2009 को विवेचना ग्रहण करके गवाह एस०एस०आई० किशोरीलाल के बयान लिये। एस०आई० श्री चरन सिंह, एस०आई० अशोक कुमार वर्मा, कां0 726 हाशिम रजा, कां० 1103 ओमकार त्यागी के बयान लिये। इसी तारीख को मैंने उक्त प्रकरण में आरोप–पत्र दायर कर दिया। आरोप पत्र व नक्शा नजरी पर क्रमशः प्रदर्श क–02 व क–03 डाला गया। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि इससे पहले उक्त प्रकरण में एस.आई. चरण सिंह विवेचक रहे थे। पूर्व विवेचक ने अधूरी विवेचना की थी। जहाँ से माल बरामद हुआ था। मैं घटनास्थल पर पहुंचा था। घटनास्थल गांव रमपुरा, थाना कोतवाली, चंदौसी से 32 किमी दूर होगा। मैं घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से अकेला गया था। घटनास्थल पर देवकीनंदन के घरवाले मिले थे। घटनास्थल पर कितना समय लगा, ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर नक्शा नजरी किसकी निशानदेही पर तैयार की, ध्यान नहीं। 21.01.2009 को विवेचना मिली थी। उसी दिन मैंने पुलिस के सभी गवाहों के बयान लिये थे। 21.01.2009 को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर विवेचना पूरी कर दी है और किसी गवाह के बयान दर्ज ना किए हो।

अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यू०–3 "सौरभ मखीजा**" द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 17.09.2008 को रात्रि 09 बजे की घटना है। मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के आगे नं० BP 21 L 4874 एल0एम०एल० फ्रिडम खड़ी थी। मैं खड़ी करके घर के अंदर गया। कुछ देर बाद आकर देखा तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं थी। ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चुराकर ले गये थे। इस घटना की रिपोर्ट लिखाने में थाना चंदौसी गया तो पता चला कि कुछ अन्य व्यक्तियों की मोटरसाइकिल चुरी हैं। इसके बाद मैंने तहरीर दी थी जिस पर मुकदमा कायम हुआ। संलग्न पत्रावली तहरीर को देखकर कहा की यह वही तहरीर है जो मैंने लिखकर थाने में दी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श क–01 डाला गया। मेरी मोटरसाइकिल आज तक नहीं मिली। मेरी मोटरसाइकिल के संबंध में विवेचक ने कोई बयान नहीं लिये। मुझे कोतवाली बुलाया था। कुछ मोटरसाइकिलें बरामद हुई

थीं। उसमें मेरी मोटरसाइकिल नहीं थी। इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि मैं व्यापार करता हूँ। मैं अपनी दुकान पर मोटरसाइकिल से ही जाता था। मैं दुकान से रात को नौ बजे घर वापस आया था। पाँच–दस मिनट बाद आकर देखा तो वहां मोटरसाइकिल नहीं थी। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल की तलाश की, नहीं मिली। थाने में उसी दिन रिपोर्ट लिखाने गया था। मैंने किसी चोर को मोटरसाइकिल चुराते नहीं देखा था। मेरे साथ के लोगों ने भी मुल्जिमान के बारे में नहीं बताया। थाने से घटना के दो दिन बाद दरोगा जी घर पहुंचे थे। यह कहना गलत है कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हुई है और मैंने झूठी रिपोर्ट थाने पर लिखाई।

16. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यू०–4 "इंस्पेक्टर विजय सिंह राणा"** द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.11.2008 को मेरी तैनाती थाना चंदौसी में उपनिरीक्षक के पद पर थी। उसी दिन रपट नं0 20 समय 9:10 बजे सुबह कां० श्रीपाल के हमराह लेकर वास्ते गश्त रवाना हुआ था। पथरा तिराहे पर पहुंचकर वाहन चेकिंग करने लगे कि थोडी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइ से बदायूं की तरफ तेज गति से आया। रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल कुछ धीमी की और तेजी से बदायूं चुंगी की तरफ जाने लगा कि एकदम दौड़कर 15–20 कदम की दूरी पर बदांयू चुंगी की तरफ से समय करीब 11:15 बजे पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विक्की पुत्र विनोद भटनागर, मो० भटनागर, कस्बा व थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं बताया। पकडे गये व्यक्ति से एक मोटरसाइकिल हीरो होडा स्पलेंडर रंग काला रजि० नं० UP 21 Q 1090, जिसका चेचिस नंबर 29934, इंजन नंबर 28368, संबंधित अं०सं० 695/2008, धारा 379, थाना चंदौसी की बरामदगी पकड़े हुए व्यक्ति को उसका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया व बरामद मोटरसाइकिल कब्जे पुलिस में लिया गया। मेरे द्वारा मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिए कहा तो बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द को पढ़कर सुनाकर गवाही हमराही कर्मचारी के बनवाये गये थे। फर्द की नकल अभियुक्त को देकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये थे। गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी के दौरान सभी संवैधानिक नियमों का पालन किया गया। फर्द बरामदगी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, देखकर तस्दीक किया गया। प्रदर्श क–1 डाला गया। इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि अभियुक्तगण आशिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र, चरन सिंह व शानू से मैंने कोई मोटरसाइकिल बरामद नहीं की थी और न ही मैं इन लोगों को जानता हूँ। घटना वाले दिन मैं थाने से 9 बजकर 10 मिनट पर मोटरसाइकिल से का0 श्रीपाल को साथ लेकर चला। थाने से जब चलते हैं तो जी.डी. पर रवानगी होती है, वह जी.डी. पत्रावली पर नहीं है। थाने से घटनास्थल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति थाने से घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से जाए तो उसे घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग आधा पौन घंटा पर

पहुंचने में लगभग आधा–पौन घण्टा लगता है। घटनास्थल पर अभियुक्त का मुँह पश्चिम की ओर था और हमारा मुँह पूरब की ओर था। अभियुक्त मोटरसाइकिल से आ रहा था। हम लोगों को देखकर मोटरसाइकिल से ही भागा। हमने पैदल दौड़कर अभियुक्त का पीछा किया तो हमने अभियुक्त को 10–15 कदम की दूरी पर ही पकड़ लिया। उस दिन हम लोग गश्त एवं वाहन चेकिंग के लिए निकले थे। यह मुझे ध्यान नहीं है कि घटना वाले दिन तक मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित कितनी विवेचना थाने में लंबित थी। अपराध संख्या 596/2008, धारा 379 भा.द.सं. मोटरसाइकिल चोरी के बारे में जानकारी थी। इस अपराध संख्या के अलावा किस अपराध संख्या में मोटरसाइकिल चोरी की विवेचना लंबित थी, इसके बारे मे मुझे कोई जानकारी नहीं है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल का चेचिस, इंजन नंबर मुझे पूरा याद नहीं है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल का रंग काला था और उसका कोई दूसरा रंग नहीं था। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, वह आज अदालत में मेरे सामने नहीं है। थाने में बरामदशुदा मोटरसाइकिल की कार्यवाही करने में लगभग आधा घंटे का समय लगा। घटनास्थल के दक्षिण में दुकाने हैं। दुकानें किसकी हैं नाम ध्यान नहीं है। पश्चिम रोड़ कस्बा चंदौसी में जाता है। उत्तर में ग्राम पथरा व रास्ता बदाँयू चुंगी को जाता है। पूरब में रोड़ बदाँयू की ओर जाता है। अभियुक्त ने घटना के समय किस रंग के कपड़े पहने थे, मुझे ध्यान नहीं है। घटनास्थल से वापस थाने किस समय पहुंचे, समय का ध्यान नहीं है। थाने में वापसी की आमद दर्ज होती है। वापसी की जी.डी. पत्रावली पर नहीं है। रपट नंबर 20 पर रवानगी करायी थी। उस दिन मैंने कितने वाहनों की चेकिंग की, यह मुझे ध्यान नहीं है। किस–किस वाहन की चेकिंग की, ध्यान नहीं है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे ध्यान नहीं है। मोटरसाइकिल किस व्यक्ति की है, इसके बावत मुझे पहले से जानकारी थी। मोटरसाइकिल कृष्ण की है। जिस समय मोटरसाइकिल बरामद की, उस समय आने–जाने वाले जनता के काफी व्यक्ति थे। मैंने गवाही के लिए कहा तो उन लोगों ने गवाही देने को मना किया। मैंने उनसे नाम पता पूंछा तो उन्होंने नहीं बताया। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक घटना का चश्मदीद साक्षी है और वह घटना के बावत साक्ष्य देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ इस घटना के बावत किसी गवाह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हो। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम के घर से पकड़कर थाने लाया हूँ और उससे नफा–नाजायज की मांग की है। न देने पर मैंने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है। इस घटना के बारे में मेरा बयान विवेचक द्वारा लिए गए, किस तारीख में लिए गए, मुझे ध्यान नहीं है। जाँच अधिकारी मेरे समकक्ष अधिकारी हैं।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **बी.जे. मार्कंड एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2016 (97) ए.सी.सी. 410 सुप्रीम कोर्ट** में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे इस प्रकार साबित करना होता है जो सामान्य प्रज्ञावान व तार्किक व्यक्ति की दृष्टि में साबित हो। साबित होने का तात्पर्य तथ्यों की समरूपता तक पहुंचना नहीं होता है बल्कि घटना की सम्भाव्यता की श्रेणी के उच्चतम रूप से साक्ष्यों द्वारा होना आवश्यक है अन्यथा अभियुक्त सदैव संदेह का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। पी0 डब्लू01 मलखान सिंह द्वारा साक्षी पी0 डब्लू03 सौरभ मखीजा के साथ संयुक्त रूप से एवं स्वयं के हस्तलेख में उनकी मोटरसाइकिल चोरी संबंधी रिपोर्ट दिनांक 17.09.2008 को दर्ज कराने का कथन किया गया है। साक्षी पी0 डब्लू01 द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे अदालत के आदेश से मोटरसाइकिल प्राप्त हो गयी थी, आज वह अपने साथ लेकर आया है तथा उक्त पर वस्तु प्रदर्श 01 डाला गया, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि मोटरसाइकिल चोरी करते हुए उसने किसी को नहीं देखा तथा पहली बार उसने मोटरसाइकिल चंदौसी थाने में खड़ी देखी। थाना पुलिस चंदौसी द्वारा मोटरसाइकिल कहां से और किससे बरामद की गयी थी, उसकी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस द्वारा न तो उसे मुल्जिमान को दिखाया गया, न ही वह मुल्जिमानों को जानता है। साथ ही साथ उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मोटरसाइकिल चोरी के बारे में उसने दरोगा जी को कुछ नहीं बताया। उक्त साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित है कि संबंधित विवेचक द्वारा उक्त साक्षी का बयान दौरान विवेचना अंकित नहीं किया गया है, न ही उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि की गयी। अत: उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

19. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू02 मौ0 यासीन द्वारा अपने बयान में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रकरण के पूर्व विवेचक एस.आई. चरण सिंह रहे जिनके द्वारा अधूरी विवेचना की गयी थी। उक्त साक्षी द्वारा बरामदगी संबंधी तथ्य के संबंध में साक्ष्य दिया गया है तथा यह कथन किया गया है कि उन्हें प्रकरण की विवेचना दिनांक 21.01.2009 को मिली थी तथा उसी दिन उन्होंने पुलिस के सभी गवाहों के बयान लिये और दिनांक 21.01.2009 को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उपरोक्त कथनों से स्वत: यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा प्रकरण की विवेचना सरसरी तौर पर की गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा कथित घटना की नक्शा नजरी के संदर्भ में भी अनभिज्ञता व्यक्त की गयी है। अत: उक्त साक्षी का साक्ष्य भी अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न कर देता है।

20. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू03 सौरभ मखीजा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि उनकी मोटरसाइकिल BP 21 L 4874 LML FREEDOM अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गयी थी। उक्त साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि उसकी मोटरसाइकिल आज तक नहीं मिली और न ही उसके संदर्भ में विवेचक ने उसका कोई बयान लिया है। उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने मोटरसाइकिल चुराते हुए किसी को नहीं देखा था। अत: उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

21. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू04 विजय कुमार राणा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.11.2008 को अभियुक्त विक्की से मोटरसाइकिल रजि0 नंबर UP 21 Q 1090 बरामद की गयी थी। अभियुक्तगण आशिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र, चरन सिंह व शानू से उक्त साक्षी ने कोई मोटरसाइकिल बरामद नहीं की थी और न ही वह इन लोगों को जानता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से उक्त बरामद मोटरसाइकिल के स्वामी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। यद्यपि कि उक्त के संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि चूंकि अभियुक्त विक्की के पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई थी जिसका वह स्वामी नहीं था, इसलिए धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध आरोपित अपराध की उप–धारणा की जाएगी, किन्तु इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की गयी उप–धारणा खण्डनीय प्रकृति की होती है तथा मात्र उप–धारणा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है बल्कि प्रत्येक मामले में अभियुक्त पर लगाए गए आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना अनिवार्य है। चूंकि अभियुक्त विक्की के पास से बरामद मोटरसाइकिल के स्वामी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए मात्र उप–धारणा के आधार पर अभियुक्त विक्की को प्रश्नगत अपराध में दोषसिद्ध किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

22. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि कथित बरामदगी अभियुक्त देवकीनन्दन की निशानदेही पर उसके घर से किया जाना दर्शायी गया है तथा अभियुक्त देवकीनन्दन की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु प्रस्तुत साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 मलखान सिंह व पी0 डब्लू0 3 सौरभ मखीजा द्वारा न तो अभियुक्तगण को चोरी करते हुए देखे जाने का कथन किया गया है, न ही इस संदर्भ में विवेचक को कोई बयान दिये जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत हो जाता है।

23. इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में जनता का कोई गवाह नहीं बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य 1978 एस.सी. पेज 1845** में अभिनिर्धारित

किया गया है कि बरामदगी के समय पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि दो सम्मानित व्यक्ति जनता के लिए जायें, यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो बरामदगी संदिग्ध मानी जाएगी। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **नेमीचन्द्र बनाम दिल्ली राज्य सी.आर.एल.जे. 1992 पेज 55** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब पुलिस द्वारा पब्लिक के गवाह पुलिस बरामदगी के समय नहीं लिए जाते हैं तो बरामदगी संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाएगी। अभियुक्त से जो कथित बरामदगी है, वह संदिग्ध हो जाती है और बिना किसी स्वतंत्र साक्षी के मात्र पुलिस कर्मचारीगण के बयान पर विश्वास किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। मामले में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है तथा इस बावत अभियोजन द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी नहीं बताया गया है जिस कारण अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है।

24. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन इस मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी तरीकों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अत: अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करने हेतु दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण आसिम उर्फ राशिद, लोकेश, सुगरपाल, रवीन्द्र उर्फ राकेश यादव, चरन सिंह, शानू मिस्त्री तथा विक्की को मुकदमा अपराध संख्या 695/2008, धारा–379 तथा 411 भा.द.सं., थाना चंदौसी, जिला संभल के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं स्वबंधपत्र खण्डित किये जाते हैं एवं प्रतिभुओं को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए दं०प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल स्वबंधपत्र व जमानतनामें छ: माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगें।

दिनांक– 03.06.2026

(दीपक कुमार जायसवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संभल स्थित चंदौसी।

मेरे द्वारा, आज यह निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 03.06.2026

(दीपक कुमार जायसवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संभल स्थित चंदौसी।